UPET010021782026

न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP02008

दांडिक निगरानी सं0 100/2026

जगवीर उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र करन सिंह,
निवासी शाहपुर, मिलावली थाना बागवाला,
जिला एटा। .....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक), एटा।
2. पार्वती देवी उम्र करीब 55 वर्ष पत्नी श्री संतोष,
   निवासी शाहपुर, मिलावली, थाना बागवाला जिला एटा

.....विपक्षीगण

निर्णय

01. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता जगवीर द्वारा परिवाद सं0 12279/2023, पार्वती देवी बनाम जगवीर आदि के मामले में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–17, एटा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.02.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है। प्रश्नगत् आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता को धारा 323,504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किया है।

02. दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः– परिवादिनी/विपक्षी सं0 02 पार्वती देवी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में एक परिवाद इस आशय का योजित किया गया कि दिनांक 29.05.2023 समय करीब 08:30 बजे रात्रि परिवादिनी अपनी पुत्रवधुओं संध्या व पूनम के साथ बैठी अपने पुत्र ब्रजेश का इन्तजार कर रही थी, तभी उसके गाँव के जगवीर, अतिवीर, हरवीर, रेखा, उर्मिला, मालती, कीर्ति सभी एक राय मशविरा होकर परिवादिनी के घर में घुस आये तथा आते ही बोले कि तू बहुत नेता बनती है, मुकदमा में फैसला कर ले, नहीं तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देगें। आज तेरी महिलाओं से मार लगवायेंगे। डर की वजह से परिवादिनी की दोनों पुत्रवधुएँ संध्या व पूनम कमरे के अन्दर घुस गयीं तथा दरबाजा बन्द कर लिया। उक्त सभी लोगों ने परिवादिनी को थप्पड़ व लात–घूंसों से मारापीटा। अतिवीर व जगवीर ने परिवादिनी के कपड़े फाड़ दिये तथा कहा कि आज तुझे देखना है। आवेदिका के पुत्र ब्रजेश की ऑटो की आवाज सुनकर सभी जान से मारने की

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 16:31:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धमकी देकर चले गये। अतिवीर व जगवीर होमगार्ड में नौकरी करते हैं तथा उनकी थाना बागवाला में चलती है। मारपीट से परिवादिनी के शरीर में दब्ब चोटें आयीं। उक्त घटना को आवेदिका के पुत्र व पुत्रवधुओं पूनम व संध्या ने देखा। घटना की रिपोर्ट करने परिवादिनी दूसरे दिन थाना बागवाला गयी, तो थाने पर अतिवीर व जगवीर मिले, जो होमगार्ड में हैं। आवेदिका की थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी तथा भगा दिया। इससे पहले भी आवेदिका के पुत्र कमलेश की मारपीट कर अतिवीर, जगवीर व रंजीत ने बॉया पैर तोड़ दिया था, जिसका मु0अ0सं0 227/2023, धारा 323,325 आई०पी०सी०, थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत हुआ। उक्त लोग उसी मुकदमे में फैसला करने का दबाव बनाने आये थे। परिवादिनी ने दिनांक 30.05.2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को रिपोर्ट भेजी, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, तब मजबूर होकर न्यायालय में परिवाद योजित किया गया। अतः अभियुक्तगण को तलब कर दंडित किये जाने की याचना की गयी।

03. परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0 01 के रूप में पूनम देवी, पी0डब्लू0 02 के रूप में ब्रजेश कुमार व पी0डब्लू0 03 के रूप में संध्या को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त जगवीर को धारा 323,504 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में आहूत किया गया।

04. निगरानीकर्ता की ओर से दाण्डिक निगरानी के समर्थन में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया तलबी आदेश दिनांक 26.02.2024 एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त परिवादपत्र परिवादिनी द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर झूठा दायर कर न्यायालय को गुमराह कर आदेश दिनांक 26.02.2024 पारित कराया गया है। उक्त परिवादपत्र में विपक्षी पार्वती द्वारा स्वयं का बयान धारा 200 द०प्र०सं० के अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० के तहत साक्षी के रूप पी0डब्लू0 01 पूनम, पी0डब्लू0 02 ब्रजेश कुमार व पी0डब्लू0 03 संध्या को परीक्षित कराया गया है, जो कि विपक्षी के परिवारीजन हैं। जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सही बात यह है कि विपक्षी से एक मुकदमा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), एटा के यहाँ मूलवाद सं0–236/2023, श्रीमती शकुन्तला बनाम संतोष विचाराधीन है तथा श्रीमती शकुन्तला रिवीजनकर्ता की माता है, जिसकी रंजिश मानते हुए विपक्षी/परिवादिनी ने रिवीजनकर्ता के विरूद्ध यह परिवाद दायर किया था। इसी प्रकार

परिवादिनी रंजिशन निगरानीकर्ता को फर्जी रूप से परेशान करती है एवं उक्त सिविल वाद में फैसला बनाने के उद्देश्य से यह परिवाद रिवीजनकर्ता के विरूद्ध दायर किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय यह नही देखा गया विपक्षी/परिवादिनी पार्वती द्वारा मौके के साक्षी परिवार के अलावा अन्य किसी को परीक्षित नहीं कराया गया। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 26.02.2024 निरस्त करने की याचना की गयी।

05. विपक्षी सं0 01 उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने एवं आदेश दिनांक 26.02.2024 पुष्ट किये जाने की याचना की गयी।

06. परिवादिनी/विपक्षी सं0 02 पार्वती देवी की ओर से जबाव 14ब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि निगरानीकर्ता होमगार्ड में नियुक्त होने के कारण थानाध्यक्ष बागवाला से सॉठ–गॉठ के कारण परिवादिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की और न ही मुकदमा पंजीकृत होने देता है। परिवादिनी के पुत्र ब्रजेश के द्वारा मु0अ0सं0 227/2023, धारा 323,325 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली देहात में दर्ज कराया गया, उसके पुत्र कमलेश कुमार की मारपीट कर हड्डी तोड दी गयी। मुकदमा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा में विचाराधीन है। पूर्व के मुकदमा में परिवादिनी पर फैसले का दबाने बनाने के उद्देश्य से यह घटना कारित की गयी है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

07. उभय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

08. दाण्डिक पुनरीक्षण के मामले में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध, अशुद्ध अथवा अनुचित तो नहीं है एवं अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है अथवा क्षेत्राधिकार के परे जाकर पारित किया गया है।

09. यह सुस्थापित विधि है कि धारा 204 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत किसी अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किये जाते समय साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर केवल परिवाद के कथनों एवं परिवादी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य पर ही विचार किया जाना है।

10. विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा अभिलेख पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त के

विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पाकर उसका संक्षिप्त उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। **नीलम संजीव रेड्डी एवं अन्य प्रति उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य, 2003 (2) जे0 आई0 सी0 655 (इलाहाबाद)** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि परिवाद के मामले में अभियुक्त को आहूत किये जाने हेतु केवल प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य ही विचार में लिया जाना है। न्यायालय को मामले के गुण–दोष के आधार पर विस्तृत विवेचन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

11. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2024 विधिसम्मत् है तथा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार पारित किया गया है। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता/अभियुक्त जगवीर की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं0 100/2026 निरस्त की जाती है।

इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय से आहूत मूल पत्रावली विचारण न्यायालय को वापस प्रेषित की जाये।

पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31.07.2026 को उपस्थित हों।

दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक–10.07.2026 **(राकेश धर दुबे)**
सत्र न्यायाधीश एटा।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–10.07.2026 **(राकेश धर दुबे)**
सत्र न्यायाधीश एटा।